(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–गुना

निगरानी– 4843/2018/गुना/भू.रा.

पहलवान सिंह पुत्र श्री लक्ष्मन सिंह रघवंशी निवासी – प्यासी तहसील आरोन जिला – गुना (म.प्र.)

……आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला – गुना (म.प्र.)

…… अनावेदक

07.8.18

16.8.18

7-8-18

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी आरोन जिला गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 65/अ–6/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2018 एवं तहसीलदार आरोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.04.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4843/2018/गुना/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-11-2018	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक एवं अनावेदक शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी, शासकीय अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-1-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अध्यक्ष	